भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4040
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

4040. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विकास परियोजनाओं के अंतर्गत निधि के आवंटन का क्या आधार है;

(ख) क्या सरकार का उन राज्यों को अधिक निधि आवंटित करने का विचार है जो उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ड़): ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वि त कर रहा है , जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधान मंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाईजी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)।

उपरोक्त सभी योजनाएं/कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के सक्रिय सहयोग से कार्यान्वित किए जाते हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आवंटन एक सतत प्रक्रिया है। राज्य के पास उपलब्ध शेष राशि , योजनाबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने, योजनाओं के तहत पहले से आवंटित निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने और प्रत्येक योजना /कार्यक्रम के दिशा -निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता के आकलन को ध्यान में रखते हुए निधि आवंटित की जाती है।

*****